1,000 सरकारी आईटीआई का उन्नयन

मंत्रिमंडल ने आईटीआई के लिए 60,000 करोड़ रुपये किए मंजूर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई

शिवा राजौरा
नई दिल्ली, 7 मई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कौशल के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की 60,000 करोड़ रुपये की उन्नयन योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी। यह योजना 1,000 सरकारी आईटीआई पर केंद्रित है। इस क्रम में उद्योग से जुड़े ट्रेड्स का पुनरुद्धार कर समझौते किए जाएंगे।

इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी और इसकी अवधि पांच वर्ष होगी। इस योजना के तहत 60,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र 30,000 करोड़ रुपये, राज्य 20,000 करोड़ रुपये और उद्योग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इसमें 50 प्रतिशत तक का सहऋण एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के सहयोग से समान स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सरकारी बयान में बताया गया, 'बीते समय में विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की वित्तीय सहायता आईटीआई के पूर्ण उन्नयन लक्ष्य को हासिल करने में अपर्याप्त थीं। यह विशेष तौर पर आधारभूत ढांचे को दुरुस्त रखने की जरूरत, क्षमता विस्तार, पूंजी सघन व नए दौर के कारोबार की बढ़ती निवेश जरूरतों को पूरा करने में अपूर्ण थीं। इससे उबरने के लिए इस प्रस्तावित योजना में जरूरत आधारित प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। इस क्रम में प्रत्येक संस्थान में चुनिंदा आधारभूत ढांचे, क्षमता और ट्रेड संबंधित जरूरत के लिए धन आसानी से आबंटित किया जाएगा।'

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कौशल उत्कृष्टता के पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति दी और इनकी स्थापना पांच राष्ट्रीय कौशल संस्थानों (एनएसटीआई) में भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में होगी। इस सिलसिले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अपने बजट भाषण में घोषणा की थी।

देश में पहले एनएसटीआई की घोषणा 1963 में हुई थी। अभी देश में 33 ऐसे संस्थान है। एनएसटीआई में मुख्य तौर पर प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है।

आईटीआई उन्नयन योजना का लक्ष्य इन पाठ्यक्रमों के जरिये 20 लाख युवाओं के कौशल का विकास करना है। इससे उद्योगों में मानव पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस योजना का ध्येय स्थानीय श्रम बल आपूर्ति और उद्योग की मांग के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करना है। इस क्रम में एमएसएमई सहित उद्योगों को सुविधाएं मुहैया करवाना है ताकि उन्हें रोजगार के लिए तैयार श्रमिक मिलें।

बयान में कहा गया, 'आधारभूत ढांचा, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, रोजगारपरकता और व्यावसायिक प्रशिक्षण से लंबे समय से जुड़ी दीर्घावधि चुनौतियों का समाधान किया जाएगा। इस योजना का ध्येय राष्ट्र की वैश्विक विनिर्माता और नवाचार की महाशक्ति बनने की दिशा में कुशल मानवश्रम की जरूरतों को आगे बढ़कर पूरा करना है।'

पांच आईआईटी का विस्तार होगा

संकेत कौल
नई दिल्ली, 7 मई

देश में पांच नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में अकादमिक और इन्फ्रा क्षमता का विस्तार किया जाएगा। इससे अगले चार वर्षों में इन शीर्ष संस्थानों में 6,500 से अधिक नई सीटें जुड़ेंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस योजना को मंजूरी दे दी। जहां बुनियादी ढांचा विकास किया जाएगा, उनमें 2014 के बाद स्थापित भिलाई, धारवाड़, जम्मू, पलक्कड़ और तिरुपति आईआईटी परिसर शामिल है। इस कार्य पर वित्त वर्ष 2025-26 से 2029 तक 11,829 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मीडिया को जारी बयान में कहा गया है, 'निर्माण पूरा होने पर पांचों आईआईटी में 13,687 छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था हो जाएगी, जहां वर्तमान में यह संख्या 7,111 ही है यानी चार साल में 6,576 सीटें बढ़ जाएंगी।' सीटों की संख्या श्रेणीबद्ध तरीके से बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें इन सभी आईआईटी में पहले वर्ष छात्रों की संख्या में 1,364 की वृद्धि होगी। दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष में क्रमशः 1,738, 1,767 और 1,707 सीटें बढ़ाई जाएंगी। कैबिनेट प्रेस नोट के अनुसार, 'ये बढ़ोतरी स्नातक (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी) और पीएचडी कार्यक्रमों में एक साथ की जाएगी।'

आईआईटी में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी का कदम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस वर्ष के बजट में इसी तरह की घोषणा किए जाने के बाद उठाया गया है। केंद्र सरकार उद्योग-अकादमिक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए पांच नए अत्याधुनिक अनुसंधान पार्कों स्थापित करने की दिशा में भी काम करेगी।

मंत्रिमंडल ने पांच आईआईटी में प्रोफेसर (लेवल 14 और उससे ऊपर) के स्तर पर 130 संकाय पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। केंद्र ने कहा, 'संकाय, प्रशासनिक कर्मचारियों, शोधकर्ताओं और छात्रों की बढ़ती संख्या एवं सुविधाओं के प्रबंधन के लिए सहायक कर्मियों की भर्ती के जरिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किया जाएगा।' आईआईटी परिसरों के विस्तार से आवास, परिवहन और सेवाओं की मांग बढ़ेगी जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

विद्युत क्षेत्र को कोयला देने के लिए 'शक्ति' में संशोधन

पूजा दास
नई दिल्ली, 7 मई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला दोहन व आवंटन की संशोधित योजना (शक्ति) को मंजूरी दे दी।

इस संशोधित योजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) के ताप विद्युत संयंत्रों को नए कोयला लिंकेज देने को मंजूरी दे दी है ताकि उन्हें अपनी जरूरतों के कोयला आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिल सके। उल्लेखनीय है कि 'अधिसूचित मूल्य पर कोयला' खंड के अंतर्गत संयुक्त उद्यमों और उनकी अनुषंगी कंपनियों सहित केंद्रीय क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाओं को कोयला लिंकेज प्रदान करने की मौजूदा व्यवस्था भी बरकरार रहेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि ताप विद्युत संयंत्र, रेलवे, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), अंतिम उपभोक्ता और राज्य सरकारें भी इससे लाभान्वित होंगी।

संशोधित शक्ति नीति के तहत दो नई खिड़की भी प्रस्तावित की गई है। पहली खिड़की के तहत संयुक्त उद्यमों और उनकी अनुषंगी कंपनियों सहित केंद्रीय क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाओं को कोयला लिंकेज प्रदान करने की मौजूदा व्यवस्था भी बरकरार रहेगी। वहीं ऊर्जा मंत्रालय की सिफारिश पर नामांकन के आधार पर राज्यों को निर्धारित लिंकेज का इस्तेमाल, राज्यों में राज्य उत्पादन कंपनी द्वारा किया जा सकेगा।

इसके अलावा, राज्यों के लिए निर्धारित राशि का उपयोग राज्य अपने स्वयं के विद्युत उत्पादन निगमों, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से पहचाने जाने वाले आईपीपी या विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के तहत बिजली खरीद समझौता (पीपीए) रखने वाले मौजूदा आईपीपी द्वारा धारा 62 के तहत पीटीपीए रखने वाली नई विस्तार इकाई की स्थापना के लिए किया जा सकता है। दूसरी खिड़की के तहत, कोई भी घरेलू कोयला आधारित विद्युत उत्पादक जिसके पास पीपीए है या जो संबद्ध नहीं है तथा आयातित कोयला आधारित विद्युत संयंत्र नीलामी के आधार पर 12 महीने तक की अवधि के लिए या 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए 25 वर्ष तक कोयला प्राप्त कर सकते हैं और विद्युत संयंत्रों को अपनी इच्छानुसार बिजली बेचने की सुविधा प्रदान कर सकता है। नई नीति के तहत, कारोबार करने में आसानी के साथ कोयला आवंटन के मौजूदा आठ अनुच्छेद को सिर्फ दो खिड़कियों में बांटा गया है। यह ऊर्जा क्षेत्र की सक्रिय कोयला आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। मंत्रिमंडल ने बताया है कि नई नीति से कोयले के आयात में कमी और प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिलेगा। पुराने संयंत्रों के विस्तार को बढ़ावा देने के साथ-साथ संशोधित शक्ति योजना कोयला स्रोत के करीब नई ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना को भी बढ़ावा देगी। इससे ऊर्जा क्षेत्र में लिंकेज कोयला के जरिये उत्पादित बिजली की बिक्री भी हो सकेगी। मंत्रिमंडल ने बताया कि इससे न केवल बिजली एक्सचेंजों में बिजली की उपलब्धता बढ़ाकर ऊर्जा बाजार को मजबूत किया जाएगा बल्कि उत्पादन स्टेशनों का कम से कम उपयोग भी सुनिश्चित होगा।

बीते साल एचएसबीसी, अमेरिकन एक्सप्रेस ने खूब दिए क्रेडिट कार्ड

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2024-25 में विदेशी बैंकों में एचएसबीसी और अमेरिकन एक्सप्रेस ने खूब क्रेडिट कार्ड दिए हैं। एचएसबीसी ने इस दौरान 2,16,997 और अमेरिकन एक्सप्रेस ने 10,07,086 नए क्रेडिट कार्ड जारी किए। बैंकिंग उद्योग ने पिछले वित्त वर्ष में 80 लाख से अधिक क्रेडिट कार्ड जारी किए। मगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के क्रेडिट कार्ड की कुल संख्या वित्त वर्ष 2025 के अंत में 1,58,322 कम हो गई। वित्त वर्ष 2024 में अमेरिकन एक्सप्रेस ने शुद्ध रूप से 11,450 नए क्रेडिट कार्ड जोड़े थे मगर एचएसबीसी के 38,693 क्रेडिट कार्ड कम हो गए। उससे पहले के सालों में अमेरिकन एक्सप्रेस के क्रेडिट कार्ड घटे थे।

संकलनः बीएस संवाददाता

विदेशी बैंकों ने जोड़े क्रेडिट कार्ड ग्राहक

बैंक	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024
अमेरिकन एक्सप्रेस	107,086	11,450
डीबीएस बैंक	-63,912	3,10,997
एचएसबीसी	2,16,997	-38,693
एसबीएम बैंक	-2,18,990	-1,32,745
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	-1,58,322	-39,089
बैंकिंग उद्योग	80,81,950	1,64,99,498

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक

टाटा केमिकल्स को 67 करोड़ रु का घाटा

टाटा केमिकल्स लिमिटेड को मार्च में समाप्त चौथी तिमाही में 67 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 818 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था।

शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि चौथी तिमाही में उसकी कुल आय मामूली घटकर 3,551 करोड़ रुपये रह गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 3,589 करोड़ रुपये थी। पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का शुद्ध मुनाफा पिछले वर्ष के 449 करोड़ रुपये से घटकर 354 करोड़ रुपये रह गया। कुल आय भी पिछले वित्त वर्ष के 15,707 करोड़ रुपये से घटकर 15,112 करोड़ रुपये रह गई। वित्तीय परिणाम पर टिप्पणी करते हुए टाटा केमिकल्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) आर मुकुंदन ने कहा, 'भारत में वृद्धि जारी रहने के बावजूद बाजार की स्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं, जबकि चीन, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में फ्लैट और कंटेनर ग्लास की मांग में कमी से मामूली गिरावट देखी जा रही है।' **भाषा**

दवा बाजार में 7.8 फीसदी की वृद्धि

संकेत कौल
नई दिल्ली, 7 मई

मार्केट रिसर्च फर्म फार्मारैक के मुताबिक, इस साल अप्रैल में भारतीय दवा बाजार की वृद्धि 7.8 फीसदी रही। इस दौरान अधिकतर प्रमुख उपचारों में सकारात्मक मूल्य वृद्धि देखने को मिली है। घरेलू बाजार में करीब 25 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले हृदय रोग में 11 फीसदी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में 7.3 फीसदी मूल्य वृद्धि दर्ज की गई। इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च ने कहा कि इस साल अप्रैल में भारतीय दवा बाजार की आय में बढ़ोतरी (एक साल पहले के मुकाबले 7.8 फीसदी) का प्रमुख कारण कंपनियों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि थी, जिसमें मात्रात्मक वृद्धि एक साल पहले के मुकाबले 1.3 फीसदी रही।

इंडिया रेटिंग्स के निदेशक (कॉरपोरेट रेटिंग्स) निशीथ सांघवी ने कहा, 'इंडिया रेटिंग्स को उम्मीद है कि दवाइयों की कीमतों में वृद्धि और नए उत्पादों की पेशकश के साथ गंभीर उपचारों में वृद्धि बरकरार रहने से चालू वित्त वर्ष 2026 में भारतीय दवा बाजार में एक साल पहले के मुकाबले 7 से 8 फीसदी वृद्धि देखने को मिलेगी।' यूरोलॉजी और एंटीनियोप्लास्टिक्स जैसे कई सुपर ग्रुप ने भी अप्रैल में दो अंकों में वृद्धि दर्ज की, जिनकी आमतौर पर भारतीय दवा बाजार के बिक्री मूल्य में 2-2 फीसदी हिस्सेदारी रहती है। फार्मारैक की उपाध्यक्ष (वाणिज्यिक) शीतल सापले ने कहा कि इस महीने मूल्य वृद्धि और नए उत्पादों की पेशकश की वृद्धि को बल दिया है, जबकि मात्रात्मक वृद्धि नगण्य रही है।

अदालती सूचना

समक्ष माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (वाणिज्य), देहरादून।

वाणिज्य वाद सं0 92 वर्ष 2024

पंजाब नेशनल बैंक कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट सं0 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075, शाखा-पलटन बाजार, एस्लेहॉल, देहरादून - 248001 इसके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से .....(वादी)

बनाम

श्री विशाल सिंह एवं अन्य .....प्रतिवादी गण

नोटिस बनाम

1. श्री विशाल सिंह पुत्र श्री यशपाल सिंह, निवासी सी–1, आवासीय परिसर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जीएमएस रोड, देहरादून–248001। **(ऋणी)**

वैकल्पिक पताः 412, जुहू एकता सीएचएस लिमिटेड, जुहू वर्सोवा लिंक रोड, शंकरी के पास, महाराष्ट्र–4000581।

2. श्री यशपाल सिंह, निवासी सी–1, आवासीय परिसर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जीएमएस रोड, देहरादून–248001। **(सह–ऋणी)**

वैकल्पिक पताः 412, जुहू एकता सीएचएस लिमिटेड, जुहू वर्सोवा लिंक रोड, शंकरी के पास, महाराष्ट्र–4000581

चूँकि वादी उपरोक्त ने आपके विरुद्ध ऋण वसूली **रूपये 6,19,431/–** के लिए वाद संस्थित किया है, आपको उक्त न्यायालय में तारीख **09.07.2025** को प्रातः **10** बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर/अधिवक्ता द्वारा उपसंजात (हाजिर) हो सकते है जिस सम्यक अनुदेश दिए गए हो और जो इस वाद से सम्बंधित सभी सारवान प्रशनों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रशनों का उत्तर दे सके, न्यायलय में आपकी उपसंजाति के लिए जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अंतिम निपटारे के लिए नियत दिन है

इसलिए आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिस पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते है।

आपको सूचित किया जाता है की यदि आप दिनांक **09.07.2025** को इस न्यायालय में उपसंजात (हाजिर) नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और निपटारा आपकी अनुपस्तिथति में एक पक्षीय सुना जायेगा।

आज दिनांक **24.04.2025** को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा सहित जारी किया गया।

आज्ञा से प्रबंधक,
अपर जिला न्यायाधीश, (वाणिज्य), देहरादून।

NSE

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-१, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई - ४०००५१, महाराष्ट्र, भारत

सार्वजनिक सूचना

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ के विनियम ३२ (३) के संदर्भ में कंपनियों के इक्विटी शेयरों की अनिवार्य असूचीबद्धता के लिए सार्वजनिक सूचना

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ ('असूचीबद्धता विनियम') के विनियम ३२ (३) और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५६ की धारा २९ए के तहत बनाए गए नियमों और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एक्सचेंज') के नियमों, उपनियमों और विनियमों के अनुसार, इसके द्वारा यह **नोटिस** दिया जाता है कि एक्सचेंज नीचे उल्लिखित कंपनी को डीलिस्ट करने का प्रस्ताव करता है, क्योंकि उक्त कंपनी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, अपनी प्रतिभूतियों को डीलिस्ट करने के लिए आधार बनाए हैं, अर्थात, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१५ के विभिन्न प्रावधानों और इस संबंध में सेबी/एक्सचेंज द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन न करने के कारण उक्त कंपनी की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग छह महीने से अधिक समय से निलंबित है।

एक्सचेंज ने एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी के अंतिम ज्ञात पते और पंजीकृत ईमेल पते पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें उक्त कंपनी से **कारण बताओ नोटिस** मांगा गया है कि कंपनी के इक्विटी शेयरों को एक्सचेंज से अनिवार्य रूप से डीलिस्ट क्यों न कर दिया जाए। कंपनी को उसके पंजीकृत पते पर जारी कारण बताएं नोटिस २९ मार्च, २०२५ को दिया गया था। एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी का नाम अंतिम ज्ञात पते के साथ नीचे दिया गया हैः

क्रम. सं.	कंपनी	*कंपनी का पंजीकृत पता
१.	ब्राइट सोलर लिमिटेड	सी-६०२, टाइटेनियम स्क्वायर, एनआर थलतेज सर्कल, एस. जी. हाईवे, थलतेज, अहमदाबाद, गुजरात-३८००५९

*** एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार पता उपलब्ध है।**

नोटः

अनिवार्य डिलिस्टिंग के परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- उपरोक्त कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होंगी। इन कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज के प्रसार बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- असूचीबद्धता विनियमों के विनियमन ३४ के संदर्भ में,
  - १ डिलिस्टेड कंपनी, उसके पूर्णकालिक निदेशक, प्रतिभूति कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, उसके प्रवर्तकों और उनमें से किसी द्वारा प्रवर्तित कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार में प्रवेश नहीं करेंगी या किसी भी इक्विटी शेयर की लिस्टिंग की मांग नहीं करेंगी या ऐसी डिलिस्टिंग की तारीख से दस साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेंगी।
  - २ किसी ऐसी कंपनी के मामले में जिसका उचित मूल्य सकारात्मक है -
    - i. ऐसी कंपनी और डिपॉजिटरी प्रवर्तकों/प्रमोटर समूह द्वारा रखे गए किसी भी इक्विटी शेयर की बिक्री, गिरवी आदि के माध्यम से हस्तांतरण को प्रभावित नहीं करेंगे और लाभांश, राइट, बोनस शेयर, स्प्लिट आदि जैसे कॉर्पोरेट लाभ प्रवर्तकों/प्रमोटर समूह द्वारा रखे गए सभी इक्विटी शेयरों के लिए तब तक रोक दिए जाएंगे जब तक कि ऐसी कंपनी के प्रमोटर इन विनियमों के विनियमन ३३ के उप-विनियमन (४) के अनुपालन में सार्वजनिक शेयरधारकों को एग्ज़िट करने का विकल्प प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित किया गया है।
    - ii. अनिवार्य रूप से डिलिस्टिंग कंपनी के प्रमोटर, पूर्णकालिक निदेशक और प्रतिभूति कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी तब तक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बनने के पात्र नहीं होंगे जब तक कि खंड (ए) में उल्लिखित एग्ज़िट विकल्प प्रदान नहीं किया जाता है।
- असूचीबद्धता विनियमों के विनियमन ३३ के संदर्भ में,
  - १ जहां किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों को डिलिस्ट किया जाता है, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करेगा जो डिलिस्ट किए गए इक्विटी शेयरों की फेयर वैल्यू का निर्धारण करेगा।
  - २ मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ताओं का एक पैनल बनाएगा और उक्त पैनल से, उप-विनियमन (१) के उद्देश्यों के लिए मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किए जाएंगे।
  - ३ डीलिस्टेड इक्विटी शेयरों की वैल्यू मूल्यांकनकर्ता (ओं) द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ के विनियमन २० के उप-विनियमन (२) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी।
  - ४ कंपनी के प्रमोटर(प्रवर्तकों) सार्वजनिक शेयरधारकों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्टिंग की तारीख से तीन महीने के भीतर मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित वैल्यू का भुगतान करके, सार्वजनिक शेयरधारकों के अपने शेयरों को बनाए रखने के विकल्प के अधीन, सार्वजनिक शेयरधारकों से डिलिस्टेड इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करेंगे।
  - ५ यदि विनियम ३३ के उप-विनियम (४) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर सभी शेयरधारकों को विनियम ३३ के उप-विनियम (३) के अनुसार देय मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रमोटर उन सभी शेयरधारकों को प्रति वर्ष दस प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो अनिवार्य असूचीबद्धता ऑफर के तहत अपने शेयरों की पेशकश करते हैं।

कोई भी व्यक्ति जो प्रस्तावित असूचीबद्धता से व्यथित हो, वह इस नोटिस के **१५ कार्य दिवसों के भीतर यानी २९ मई, २०२५** को या उससे पहले एक्सचेंज की असूचीबद्धता समिति को लिखित रूप में प्रतिनिधित्व कर सकता है।

प्रतिनिधित्व (ओं) करने वाले व्यक्ति (ओं) के पूर्ण संपर्क विवरण (ईमेल आईडी, पता और फोन नंबर) के साथ प्रतिनिधित्व (ओं) को इस पते पर संबोधित किया जाना चाहिएः

असूचीबद्धता कमेटी, लिस्टिंग डिपार्टमेंट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 'एक्सचेंज प्लाज़ा,सी-१, ब्लॉक-जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०००५१. संपर्क संख्याः + ९१ २२ २६५९९१०० (३२०१४), ई-मेलः vgandhi@nse.co.in, delisting@nse.co.in, dl-insp-enf-delisting@nse.co.in को सीसी करें। प्रतिनिधित्व/ओं को अनिवार्य रूप से उपरोक्त निर्दिष्ट ईमेल पते पर ईमेल किया जाना चाहिए। किसी भी गुमनाम प्रतिनिधित्व/ओं को मान्य नहीं माना जाएगा।

कंपनियों को **२९ मई, २०२५** को या उससे पहले उपरोक्त कंपनियों के प्रवर्तक/निदेशक की जानकारी अपडेट करने का निर्देश दिया जाता है। उपरोक्त सूचीबद्ध कंपनियों के प्रवर्तक/निदेशक से भी अनुरोध है कि वे उपरोक्त टेलीफोन नम्बरों और ईमेल पते पर तत्काल एक्सचेंज से संपर्क करें।

जगह : मुंबई **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के लिए**
दिनांकः ८ मई, २०२५

Nifty50

VOLTAS
A TATA Enterprise

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2025

(₹ In Crores)

Particulars	Quarter ended			Year ended	
	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
Total Income	4847.25	4257.30	3164.16	15737.25	12734.47
Profit from operations before share of profit of joint ventures and associates and tax	375.14	212.40	223.05	1316.75	624.41
Share of profit / (loss) of joint ventures and associates	(31.97)	(38.32)	(32.42)	(126.00)	(138.61)
Profit before tax	343.17	174.08	190.63	1190.75	485.80
Net Profit for the period	235.69	110.64	130.76	834.28	248.11
Total Comprehensive Income for the period	158.03	166.82	70.13	868.08	503.15
Paid up equity share capital (Face value ₹ 1/- each)	33.08	33.08	33.08	33.08	33.08
Earnings per share (* not annualised) Basic and diluted (₹)	*7.28	*3.52	*3.99	25.43	7.62

Notes :

1. These results have been reviewed by the Board Audit Committee at its Meeting held on 5th May, 2025 and approved by the Board of Directors at its Meeting held on 7th May, 2025.
2. Information on Standalone Financial Results:

(₹ In Crores)

Particulars	Quarter ended			Year ended	
	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
Total Income	3723.57	3121.31	2098.20	11696.13	8987.76
Profit before tax	300.93	232.36	146.25	1035.75	758.20
Net Profit for the period	220.50	190.31	108.34	776.76	604.26

3. The Group had through its Qatar Branch entered into a sub-contract along with a consortium partner with a Main Contractor in the year 2010. The Main Contract between the Ultimate Client and the Main Contractor was terminated by the Ultimate Client closer to the completion of the contract in 2014 citing delays and defects in execution and initiated arbitration proceedings against the Main Contractor for which the final award is pending. Accordingly, the Group had made a comprehensive assessment of the losses arising on account of such termination of the Main contract and cessation of work and accounted for all probable losses on the sub-contract in the earlier years.
   The Group had issued bank guarantees amounting to ₹ 390 crores (QAR 166.6 million) to the Main Contractor which have been disclosed as a contingent liability over the years. In June 2023, the Group was intimated of a request received by the Bank from the Main Contractor for encashment of the said bank guarantees, which due to certain deficiencies was not paid by the Bank to the Main Contractor which led to commencement of legal proceedings. The matter is currently sub-judice and the proceedings are currently ongoing between the Main contractor, the Group and the Bank. As the latest development, all the parties including the Group had filed their respective appeals with the Court of Appeal (Qatar) which has remanded the case matter back to the Court appointed experts to review the objections raised by the respective parties including the bank. The bank guarantee continues to remain unencashed. The Group continues to re-assess its liability under the sub contract at each reporting date and based on such assessment and legal advice obtained from independent counsel, is confident that it has good grounds to defend any claims that may arise. Accordingly, no further provision has been considered in the financial results. The Group has taken all necessary steps, including legal remedies to safeguard and defend itself and is closely monitoring the developments as they may arise.
4. a. During the year, Voltas Limited executed the Share Purchase Agreements with Universal MEP Projects Pte Limited (UMPPL), a step-down subsidiary of Voltas Limited, for transfer of the Company's investments in its overseas subsidiaries – Weathermaker FZE (Weathermaker) (100%), UAE, Saudi Ensas Company for Engineering Services W.L.L. (Saudi Ensas), Kingdom of Saudi Arabia (92%) and Lalbuksh Voltas Engineering Services & Trading L.L.C. (Lalvol), Sultanate of Oman (20%) and transfer of shares has been completed. Subsequent to the transfer of these investments, the economic interest of the Voltas Limited in the subsidiary companies so transferred continues to remain intact.
   b. The Board of Directors of Voltas Limited at its Meeting held on 13th March, 2025, approved transfer of overseas branches of Voltas Limited at Dubai and Abu Dhabi in UAE to Universal MEP Contracting L.L.C. ('UMCL'), Dubai, UAE, a step-down subsidiary of Voltas Limited on a slump sale basis through Business Transfer Agreements ('BTAs') to be executed between Voltas Limited and UMCL on or before 30th June, 2025. The transaction is expected to be consummated by 30th September, 2025 or such other date as mutually agreed between the Voltas Limited and UMCL.
5. Figures of the quarter ended 31st March, 2025 and 31st March, 2024 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the year to date figures upto the third quarter of the relevant financial year which were subjected to limited review by Auditors.
6. The Board of Directors have recommended a dividend of ₹ 7/- per share of ₹ 1/- each (700%) for the year 2024-25.
7. The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The results for quarter and year ended 31st March, 2025 are available on the Company's website at https://www.voltas.in/images/Investor/schedule-announcements/download/Financial_Results_March_2025.pdf The same can be accessed by scanning the QR code provided below.

Mumbai, 7th May, 2025

For and on behalf of the Board of Directors
of Voltas Limited
Pradeep Bakshi
Managing Director & CEO

VOLTAS LIMITED
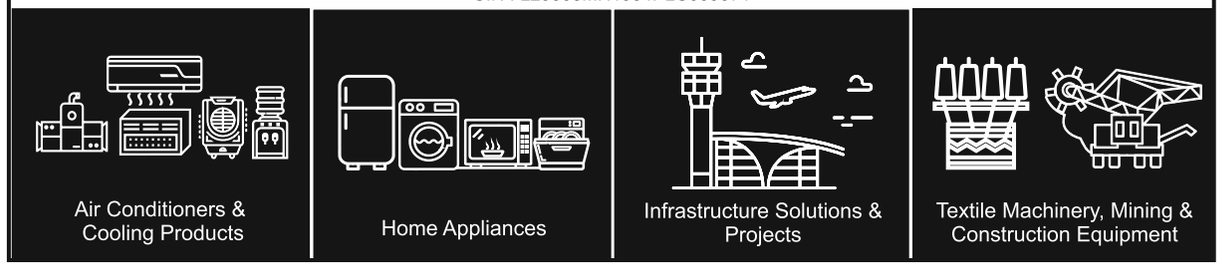
Registered Office : Voltas House 'A', Dr. Babasaheb Ambedkar Road, Chinchpokli, Mumbai 400 033, India.
Tel. No. : 91 22 66656666 Fax No. : 91 22 66656231
e-mail : shareservices@voltas.com Website : www.voltas.com
CIN : L29308MH1954PLC009371